# उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा दिए जाने वाले
# दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन के लिए महत्वपूर्ण सूचना

## सत्र 2021–22 में काउन्सलिंग के द्वारा दाखिला प्राप्त नवप्रवेशित (FRESH) सामान्य, पिछड़ा, अनुसूचित जाति/जनजाति व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए

## ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि – 10 जनवरी 2022

**इस स्कालरशिप फार्म को भरने के लिए वह छात्र/छात्राएँ ही पात्र होंगे जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रू0 2 लाख तक है (अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु आय सीमा रू0 2.50 लाख प्रतिवर्ष है)।**

1. वर्ष 2021–22 में उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतू आवेदन ऑनलाइन भरे जाएँगे जिसे छात्र/छात्राओं को स्वयं भरना है।
2. इन्टरमीडिएट (10+2) के आधार पर प्रवेशित आवेदकों का इन्टरमीडिएट (10+2) में न्यूनतम 60% अंक अनिवार्य है । साथ ही वर्तमान सत्र में 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
3. **मैनेजमेन्ट कोटा/स्पाट एडमिशन/डायरेक्ट एडमिशन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति वर्ग एवं सामान्य जाति वर्ग के छात्र/छात्राऐं छात्रवृत्ति के पात्र नहीं होंगे।**
4. आवेदन फार्म भरने से पूर्व छात्र/छात्राओं द्वारा निम्न तैयारियॉ जरूरी है :
   - सर्वप्रथम छात्र/छात्राएँ स्वयं के नाम का बैंक खाता खुलवाकर पासबुक जरूर प्राप्त कर लें। **ऑनलाईन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में आधार से लिंक बैंक खाते का विवरण ही अकिंत करें।** जनधन खाता मान्य नहीं होगा। आधार नम्बर जो कि छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र में अंकित किया जाएगा, बैंक खाते से सीडेड होना अनिवार्य है। अपना बचत बैंक खाता संचालित रखें एवं खाते में धनराशि आने की लिमिट छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की प्राप्त होने वाली धनराशि से अधिक हो, सुनिश्चित कर लें। ध्यान रखें कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क की धनराशि आने तक आपका खाता पूर्ण रूप से संचालित रहे।
   - **आय प्रमाण पत्र** तहसीलदार द्वारा आवेदक के माता/पिता/अभिभावक के नाम से 2021 में निर्गत किया हुआ हो तथा **आय का स्रोत** स्पष्ट लिखा होना चाहिए जैसे–कृषि, नौकरी, मजदूरी आदि (आय का स्रोत "**समस्त स्रोतों से**" मान्य नही होगा। प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमाण–पत्र सत्यापन वाले वेबसाईटों पर प्रदर्शित/सत्यापन होना अनिवार्य है।
   - **निवास प्रमाण पत्र** (छात्र के नाम तहसीलदार द्वारा निर्गत) तथा उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमाण–पत्र सत्यापन वाले वेबसाईटों पर प्रदर्शित/सत्यापन होना अनिवार्य है।
   - **जाति प्रमाण पत्र** (OBC, SC तथा ST छात्र/छात्राओं के लिए) (छात्र के नाम तहसीलदार द्वारा निर्गत) साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमाण–पत्र सत्यापन वाले वेबसाईटों पर प्रदर्शित/सत्यापन होना अनिवार्य है।
   - काउन्सलिंग लेटर व संस्थान में जमा फीस व हास्टल फीस की रसीद।
   - पासपोर्ट साईज का एक नवीनतम कलर फोटो (**फोटो के नीचे आवेदक हस्ताक्षर कर दें**)।
   - हाईस्कूल व इन्टरमीडिएट (10+2) अथवा डिप्लोमा मार्कशीट की फोटो कॉपी।
   - कॉलेज आई0कार्ड की फोटो कॉपी (यदि प्राप्त हो चुका है) व पिता, माता तथा स्वयं का आधार कार्ड की फोटो कॉपी।
   - आवेदक की संस्था द्वारा जारी ई–मेल आई0डी0 (यदि प्राप्त हो चुकी हो तो) अन्यथा की स्थिति में निजी ई–मेल आई0डी0 व पिता तथा स्वयं का मोबाईल नम्बर।
5. फोटो अपलोड करते समय अपने नवीनतम फोटो के नीचे हस्ताक्षर आवश्यक हैं।

6. इन सभी अभिलेखो/दस्तावेजो को एकत्र कर **http://scholarship.up.gov.in/** वेबसाईट पर स्टूडेन्ट सेक्शन में रजिस्ट्रेशन (2021–22) में अपनी कैटेगरी के अनुसार Postmatric Other than Intermediate (Fresh) के लिंक पर Click कर रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन सम्पन्न होने के बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप का प्रिंट निकाल लें तथा वेरिफिकेशन कोड और रजिस्ट्रेशन नम्बर सुरक्षित कर लें। (कहीं नोट कर लें)

7. रजिस्ट्रेशन के बाद पुनः **http://scholarship.up.gov.in/** पर Student सेक्शन में जाकर Student Postmatric other than Inter Login Fresh (After Registration) लिंक से लॉगिन करें तथा अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर में अपना विस्तृत विवरण ध्यानपूर्वक फीड करें।शुल्क संबन्धित विवरण में संलग्न सूची के अनुसार ही फीस की राशि फीड करेंगे।

8. सबमिट करने के बाद स्कैन फोटो अपलोड करें ।

9. यदि फार्म भरने में कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो उसे "**आवेदन पत्र को संशोधित करें**" लिंक पर जाकर सुधार सकते है। तत्पश्चात जॉच के लिए आवेदन पत्र को "**जॉच हेतु आवेदन पत्र प्रिंट करें**" लिंक से प्रिंट कर स्वयं ध्यानपूर्वक जॉच लें।

10. जांच के उपरान्त आवेदन पत्र सबमिट करें। बिना **"जांच हेतु प्रिन्ट" निकाले व बिना जांचे किसी भी परिस्थिति में प्रथम बार में "संस्था हेतु प्रिन्ट" के लिंक पर क्लिक न करें अन्यथा फार्म स्वतः ही लॉक हो जायेगा** तथा फिर किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकेगा। संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का प्रिन्ट तीन दिन बाद अवश्य निकाल लें।

11. संस्थान हेतु आवेदन प्रिंट करने के बाद निम्न दस्तावेजों/अभिलेखों को क्रमवार संलग्न कर, दो सेट (एक ओरिजिनल व एक फोटो कॉपी सेट) तैयार कर ओरिजिनल सेट संस्थान में जमा करें तथा फोटो कॉपी सेट भविष्य के लिए अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें।

- ➤ ऑनलाईन आवेदन पत्र स्वयं तथा अभिभावक द्वारा अनिवार्य रूप से हस्ताक्षरित।
- ➤ **आय प्रमाण पत्र (ओरिजिनल कॉपी)**,निवास प्रमाण पत्र,जाति प्रमाण पत्र व उनकी सत्यापन कॉपी (**सामान्य व अल्पसंख्यक वर्ग के आवेदकों को अनिवार्य नहीं है)।**
- ➤ छात्र व अभिभावक का Notary कराया हुआ शपथ पत्र की **मूल प्रति** (रू0 10/–के स्टाम्प पेपर पर)।
- ➤ बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की **स्पष्ट पठनीय प्रति** व काउन्सलिंग लेटर की प्रति।
- ➤ संस्थान में जमा फीस टयूशन फीस तथा हॉस्टल फीस की रसीद **(संस्थान के छात्रावास में निवास करने वाले छात्र छात्रावास की फीस की रसीद ही लगायें)।**
- ➤ हाईस्कूल, इन्टरमीडिएट (10+2)/डिप्लोमा की मार्कशीट, कॉलेज आई0डी0 कार्ड व पिता, माता एवं स्वयं का आधार कार्ड।
- ➤ आनलाइन फार्म के साथ संलग्न किये जाने वाले समस्त प्रपत्रों की प्रतिलिपियां **(फोटो कॉपी) Self Attested** होने चाहिए।

**केवल प्रथम वर्ष के आवेदक ऑनलाइन आवेदन फार्म में विश्वविद्यालय/बोर्ड में पंजीयन क्रमांक के स्थान पर कॉलेज लाइब्रेरी आई0डी0 कार्ड का नम्बर फीड करेंगे।**

***आवेदन पत्र दिनांक 15 दिसम्बर 2021 से अपराह्न 12:00 बजे से सांय 4:00 बजे तक A-Block Room No-2 में फार्म सबमिट कर सकते हैं। सभी छात्र हार्डकॉपी जमा करने से पहले संलग्न दस्तावेजों एवं फार्म को भली भांती स्वयं जांच लें। दस्तावेजों में कमी पाये जाने पर फार्म आगे अग्रसारित नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की त्रुटि के लिए छात्र स्वंय उत्तरदायी होंगे।***

**विशेष जानकारी एवं दिशा निर्देश हेतु विभागीय वेबसाईट http://scholarship.up.gov.in/ तथा *https://www.kiet.edu/Scholarship-Circulars* से जानकारी प्राप्त करते रहें।**